

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 12 जुलाई, 2019

विषय:- नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019 की ओर दिलाऊँ तथा अनुरोध करूँ कि कृपया सूचित करें कि सरकार के उक्त पत्र पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, की सूचना 7 दिन के अन्दर अन्दर भिजवाएं । मुझे यह अनुरोध करने का भी निदेश हुआ है कि आपके अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या (field & H.O.) तथा उनके मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना भी सरकार को 7 दिन के अन्दर अन्दर भिजवाने का कष्ट करें ।

Shan

अवर सचिव, प्रोटोकॉल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

Shan

अवर सचिव, प्रोटोकॉल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0
पृ0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 12 जुलाई, 2019

दिनांक, चण्डीगढ़ 12 जुलाई, 2019

जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

Shan

अवर सचिव, प्रोटोकॉल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।